

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 95 / 2014  
संस्थान दिनांक 19.02.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

शोभाराम पिता सिकदार भीलाला आयु 55 वर्ष,  
निवासी-ग्राम जुनापानी, तहसील अंजड़  
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 13.07.2015 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 37 / 2014 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 19.02.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09.02.2014 को समय 12:15 बजे, अभियुक्त के मकान के पास ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 08 लीटर भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2014 को सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई को देहात भ्रमण के दौरान ग्राम जुनापानी पहुँचा, जहाँ पुलिस को देखकर अभियुक्त शोभाराम पिता सिकदार, निवासी-ग्राम जुनापानी का अपने मकान के पास से भरी केन लेकर भागने लगा, तब अभियुक्त को हमराह सैनिक कालु की मदद से पकड़ा व शंका होने पर केन को खोलकर चेक किया तो हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 8 लीटर भरी पाई थी। अभियुक्त शोभाराम से पुलिस ने साक्षीगण कालू एवं देवेन्द्र के समक्ष मदिरा रखने संबंधी अनुज्ञा पत्र पूछने पर नहीं होना बताया। सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई ने अभियुक्त शोभाराम से लगभग 08 लीटर मदिरा भरी प्लास्टिक की केन जप्त कर प्रदर्शनी 2 का जप्ती पंचनामा

बनाया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त शोभाराम को गिरफ्तारी कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा तत्पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई द्वारा अभियुक्त एवं मदिरा को लेकर थाने आया तथा थाने का अपराध क्रमांक 37/2015 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त दिनांक 09.02.2014 को समय 12:15 बजे, अभियुक्त के मकान के पास ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 08 लीटर भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.2), नगर सैनिक कालुसिंह (अ.सा.3) एवं देवेन्द्र (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 2 ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 09.02.2014 को वह थाना अंजड़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा देहात भ्रमण दौरान ग्राम जुनापानी में पहुँचा जहाँ अभियुक्त पुलिस को देखकर अपने मकान के पास से भरी केन लेकर भागने लगा। अभियुक्त को हमराह सैनिक कालु की मदद से पकड़ा तथा उसके पास से भरी केन को खोलकर देखा तो उसमें लगभग 8 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा भरी हुई पाई गई थी, जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई दस्तावेज नहीं था। उसने अभियुक्त के आधिपत्य से

प्लास्टिक की केन से हाथ भट्टी कच्ची मदिरा प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा साक्षी कालु एव देवेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा जप्त मदिरा को थाना अंजड़ लेकर आया था तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 37/14 प्रदर्शपी 4 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मदिरा की जाँच आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त अंजड़ से कराई थी, जिसका जाँच प्रतिवेदन अभियोग पत्र के साथ सलंग्न है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अंजड़ से ग्राम जुनापानी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वह अंजड़ से लगभग 10 बजे निकला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि थाने से कही जाते हैं तो रवानगी एवं वापसी रोजनामचे में इंद्राज करते हैं और उक्त रोजनामचे की प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नहीं की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह जब ग्राम जुनापानी पहुँचा था तब उस समय घटनास्थल पर 5 से 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह अंजड़ से दोनों साक्षियों को साथ लेकर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह कालु को साथ लेकर गया था तथा दूसरा साक्षी ग्राम जुनापानी में मिला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि देवेन्द्र थाना अंजड़ का वाहन चलाता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण थाने पर दर्ज किया है।

8. नगर सैनिक कालुसिंह असा 3 ने भी दिनांक 09.02.14 को सहायक उपनिरीक्षक आर.एस.मण्डलोई के साथ ग्राम जुनापानी में देहात भ्रमण पर जाने और अभियुक्त के आधिपत्य से 8 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा को आर. एस. मण्डलोई ने प्रदर्शपी 2 के अनुसार उसके समक्ष जप्त किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह मण्डलोई के साथ ग्राम जुनापानी अंजड़ से सीधे गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम जुनापानी में उसके रिश्तेदार एवं समाज के लोग रहते थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह थाने से 10 बजे निकले थे।

9. देवेन्द्र असा 4 ने भी अभियुक्त को पहचाने और आर.एस. मण्डलोई द्वारा अभियुक्त को मदिरा सहित पकड़ने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त से 8 लीटर मदिरा प्रदर्शपी 2 के अनुसार उसके समक्ष जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह थाना अंजड़ का वाहन चलाता है तथा पुलिस के बनाये कई प्रकरणों में साक्ष्य दी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वाले उससे अक्सर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया

कि वह आर.एस. मण्डलोई के साथ थाने से ग्राम जुनापानी गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह ग्राम जुनापानी 12:15 पहुँच गये थे और जुनापानी में 5 से 7 व्यक्तियों की भीड़ देखकर रुक गया था। साक्षी ने यह ध्यान होने से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 व 2 के पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे तब वे कोरे थे या नहीं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह पुलिस से मिलकर अभियुक्त को सजा दिलवाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

10. आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान असा 1 का कथन है कि दिनांक 16.02.2014 को थाना अंजड़ से आरक्षक रामकिशोर अपराध क्रमांक 37/14 में जप्त एक प्लास्टिक की केन में तरल पदार्थ जाँच के लिए लेकर आया था और उसने तरल पदार्थ की सुघंकर, चखकर देखा तथा लिटमस पेपर डालकर, थर्मामीटर एवं हाइड्रोमीटर से जाँच करने पर तरल पदार्थ को हाथ भट्ठी मदिरा होना पाया था। साक्षी ने अपनी जाँच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 में बी से बी भाग पर काट-छांट की गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जो मदिरा जाँच के लिए आई थी उसने उसे नापकर नहीं देखा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्शपी 1 की लिखावट उसकी नहीं है, केवल उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. विद्वान ए.डी.पी.पी. ओ का तर्क है कि अभियुक्त के पास बिना अनुज्ञप्ति के एक केन में हाथ भट्ठी मदिरा आर.एस. मण्डलोई द्वारा बरामद की गई थी तथा जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण ने अभियुक्त से उक्त मदिरा जप्त होना स्पष्ट रूप से कहा है जो आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा जाँच करने पर हाथ भट्ठी मदिरा पाई गई और उसका जाँच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) का अपराध प्रमाणित होता है।

12. यह सही है कि आर.एस.मण्डलोई ने अभियुक्त के पास से एक प्लास्टिक की केन में हाथ भट्ठी मदिरा 8 लीटर जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं और उसका समर्थन कालु असा 3 और देवेन्द्र असा 4 ने भी किया है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षी जप्ती पंचनामों के स्वतंत्र एवं स्थानीय साक्षी नहीं हैं। कालु अ.सा. 3 पुलिस थाना अंजड़ में नगर सैनिक है तथा देवेन्द्र पुलिस थाना अंजड़ पर वाहन चालक है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों ही साक्षी पुलिस कर्मी हैं तथा अभियोजन में हितबद्ध हैं। देवेन्द्र असा 4 ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कई प्रकरणों में साक्ष्य दी है और पुलिस वाले अक्सर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। यहाँ तक कि साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह ग्राम जुनापानी में 5-7 व्यक्तियों की भीड़ देखकर रुक गया था लेकिन उक्त किसी भी व्यक्ति को अभियोजन की ओर से साक्षी नहीं बनाया

गया। यहाँ तक कि ग्राम जुनापनी पर जाने और वहाँ से वापस आने के संबंध में संबंधित रोजनामचे की प्रतिलिपि पेश या प्रदर्शित नहीं कराई गई और अभियुक्त के पास से जप्त की गई मदिरा को भी न्यायालय में प्रदर्शित नहीं कराया गया। नफीस एहमद खान असा 1 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस तरल पदार्थ की जाँच हुई थी उसकी नाप नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 में उसके हस्ताक्षर हैं, परन्तु लिखावट उसकी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त शोभाराम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त शोभाराम को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 08 कच्ची हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी